राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

जयराम बनाम सोधूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	56/2016	
18/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/12/2025 को पेश हो।	
24/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06/10/2015 पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के प्रावधानों के तहत पोषणीय नही होना धारित करते हुए ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।	

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से प्रथमदृष्टया यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के सन्दर्भ में एक वाद पेश किया है तथा फ़ौजदारी व सिविल कार्यवाही भी जैरकार है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण से प्रभावित पक्ष होना जाहिर होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी पक्षकार नही रहे है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुये डिले को कन्डोन किया जाना भी न्यायोचित्त प्रतीत होता है। अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर ईजाजत अपील का अनुतोष अपीलार्थी को प्रदान किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। गुणावगुण के सन्दर्भ में दौराने बहस उभयपक्षों द्वारा उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर विवेचन/विश्लेषण करते हुये अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के धानका अथवा धानक जाति के व्यक्ति होने को स्पष्ट करते हेतु कोई जाति प्रमाण पत्र पेश ही किया जाना धारित कर धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से ख़ारिज फरमा दिया गया। जबकि अपील पत्रावली पर उपलब्ध विभिन्न न्यायालय में निर्णित/विचाराधीन प्रकरणों में रेस्पो./अप्रार्थीगण की जाति धानका होना प्रथमदृष्टया जाहिर होता है एवं प्रकरण में धारा 42(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

~~जयराम बनाम साधूराम~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उल्लघन का बिन्दु प्रश्नाधीन है, ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे समस्त तथ्यों का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये निर्णय पारित करते किन्तु ऐसा नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी कारित किया जाना जाहिर होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06/10/2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी सहित सभी पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 24/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर